भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1645

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।

7 श्रावण, 1948 (शक)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए विधान

1645. श्री सेल्वाराज वी:
श्री सुब्बारायण के:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए एक व्यापक विधान लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और **(ख):** भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य एआई से जुड़े जोखिमों का समाधान करते हुए युवाओं के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार पैदा करना है।

भारत की एआई रणनीति 300 बिलियन डॉलर के वार्षिक राजस्व और 60 लाख मजबूत कार्यबल के साथ भारत के जीवंत आईटी क्षेत्र पर आधारित है। इंडियाएआई मिशन में सात स्तंभ हैं जिनमें एआई मॉडल, एप्लिकेशन, डेटासेट, प्रतिभा विकास और किफायती गणना का विकास शामिल है।

इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश दिनांक 5 नवंबर 2025 को जारी किए गए थे, जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी विकास और नियोजन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करते हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, निम्नलिखित संस्थागत तंत्र शुरू किए गए हैं:

- भारत की राष्ट्रीय एआई शासन रणनीति के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी निकाय, एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप (एआईजीईजी);
- तकनीकी और नीतिगत सिफारिशों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति (टीपीईसी); तथा
- सुरक्षा अनुसंधान करने, मानकों को विकसित करने, एआई सिस्टम का परीक्षण करने और उभरते जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए एआई सुरक्षा संस्थान (एआईएसआई)।

सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सरकार, तकनीकी विकास और सार्वजनिक हित के आलोक में डिजिटल इकोसिस्टम को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढांचे से संबंधित मामलों में एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाती है और साइबर स्पेस में उभरते मुद्दों से संबंधित कानूनी, नीतिगत और संस्थागत ढांचे की जांच करने के लिए नियमित रूप से संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ती है।

यदि आवश्यक समझा जाता है तो किसी भी विधायी या विनियामक उपायों पर सरकार की मौजूदा नीति और स्थापित विधायी प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और नियम:

- इस दिशा में, यह ध्यान दिया जाए कि आईटी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम, कंप्यूटर संसाधनों, मध्यवर्तियों, डिजिटल प्लेटफार्मों और ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला एक प्रौद्योगिकी-तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।
- तदनुसार, एआई सहित उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित तकनीक के बावजूद उनके प्रावधान लागू होते हैं, और उभरते तकनीकी विकास और संबंधित ऑनलाइन नुकसान को दूर करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे को समय-समय पर मजबूत किया जाता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") मध्यवर्तियों और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक अपेक्षित सावधानी ढांचे को निर्धारित करते हैं, और उनसे इन दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपेक्षा होती है ताकि गैरकानूनी सामग्री की होस्टिंग या प्रसारण को रोका जा सके।
- एआई जैसी प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग के माध्यम से उत्पन्न उभरते ऑनलाइन नुकसान की समस्याओं को हल करने के लिए, सरकार ने पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 के माध्यम से मौजूदा नियामक ढांचे को मजबूत किया है, जिसे 10 फरवरी, 2026 को अधिसूचित किया गया था और 20 फरवरी, 2026 को लागू किया गया था।
- इन संशोधनों में, *अन्य बातों के साथ-साथ,*
 - कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी (एसजीआई) के लिए एक समर्पित अपेक्षित सावधानी ढांचा पेश किया, जिसमें डीपफेक और अन्य एआई-जनित ऑडियो, दृश्य और ऑडियो-विजुअल सामग्री शामिल है, और
 - महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों सहित मध्यवर्तियों के लिए अतिरिक्त दायित्व निर्धारित किए गए हैं, ताकि ऐसी सामग्री से उत्पन्न होने वाले ऑनलाइन नुकसान को कम किया जा सके, जैसे कि एसजीआई प्रकाशित करने से पहले उपयोगकर्ता घोषणा और तकनीकी सत्यापन, और एसजीआई की प्रमुख लेबलिंग।

इन संशोधनों ने अनुपालन के लिए समय-सीमा को भी मजबूत किया है, जिसमें वास्तविक जानकारी के आधार पर गैरकानूनी जानकारी को हटाने और शिकायत निवारण के लिए कम समय-सीमा (नग्नता/प्रतिरूपण आदि जैसी विशेष श्रेणियां सहित) शामिल हैं:

- हटाने/निष्क्रिय करने की समय-सीमा में कमी:
 - उपयुक्त सरकार से वैध तर्कसंगत सूचना मिलने पर निष्क्रिय करने की समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी गई है।
- शिकायत निवारण समयसीमा में कमी:
 - सामान्य शिकायतें: 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर दी गई;
 - विशेष श्रेणी के नुकसान (नग्नता, प्रतिरूपण, यौन स्पष्ट सामग्री आदि): 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया।
